पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.-1/आर. टी. आई./2287/418 **दिनांक:**05.02.2024

सेवा में,

श्री अजीत सिंह एडवोकेट,
पुत्र श्री अखेराम, चैम्बर नंबर 419,
जिला न्यायालय, भिवानी (मो. न.9813831675)

विषय :आपका आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2024 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपका आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2024 जो कि पावरग्रिड भिवानी कार्यालय में दिनांक 15.01.2024 को प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में आपके द्वारा मांगी गई बिंदुवार जानकारी निम्नलिखित है:

बिंदु न.	बिंदुसार	पावरग्रिड द्वारा जानकारी
1	यह कि आपके विभाग द्वारा अर्थ मूवर मशीन द्वारा टावर की टांगों की फाउंडेशन के लिए जमीन को कितनी लम्बाई, चौडाई तथा गहराई में खोदा गया था और इस काम के लिए अर्थ मूवर मशीन को कितना समय लगा। खुदाई के एवज में आपके विभाग द्वारा कितनी राशि दी गई थी। तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां।	टावर सुदृढीकरण कार्य पावरग्रिड की अनुमोदित ड्राइंग और विनिर्देश के अनुसार निष्पादन किया गया। मांगी गई जानकारी आर. टी.आई अधिनियम के नियम 8(1) (d) के अनुसार छूट प्राप्ति के दायरे में है।
2	यह कि आपके विभाग द्वारा दिनांक 31.10.2020 को प्रार्थी के नाम जो मुआवजा फार्म नोटिस नम्बर 37 बुक नम्बर 03 भर कर दिया गया था उसकी सत्यापित कापी।	कॉपी संलंग्न है।
3	यह कि आपके विभाग द्वारा दोबारा से फाउंडेशन बनाने की जरुरत किस कारण हुई तथा किस अधिकारी द्वारा इस कार्य को करने की मंजूरी दी थी। तमाम दस्तावेजों की सत्यापित कापीयां।	टावर फाउंडेशन नहीं बल्कि टावर स्ट्रेंग्थेनिंग की गई थी जो कि पावरग्रिड पारेषण लाईन के Technical Specification के अंतर्गत आता है। जो कि आर. टी.आई अधिनियम के नियम 8(1) (d) के अनुसार छूट प्राप्ति के दायरे में है।
4	यह कि आपके विभाग द्वारा प्रार्थी को उसके खेत में उप्रोक्त कार्य करने के लिए किस किस प्रकार का कितना मुआवजा दिया गया था । तमाम दस्तावेजों की सत्यापित कापीयां।	टावर न.02 पर टावर स्ट्रेंग्थेनिंग कार्य के दौरान प्रार्थी को फसल का मुआवजा दिया गया है जो कि रुपये 49,728/- है । कापी संलग्न है।

...2

5	यह कि आपके विभाग द्वारा प्रार्थी के खेत में दोबारा से टावर का फाउंडेशन बनाया गया है उसमें कितनी लम्बाई, चौडाई और गहराई तक सरिया, कंक्रीट और सिमेंट डाल कर पक्का किया गया था। तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां।	कोई नींव नहीं डाली गई है बल्कि टावर सुदृढीकरण कार्य पावरग्रिड की अनुमोदित ड्राइंग और विनिर्देश के अनुसार निष्पादित किया गया।
6	यह कि उप्रोक्त कार्य करते समय प्रार्थी के खेत में कितना सरिया, सिमेंट, क्रेसर, तथा कंक्रीट आदि डाला गया था । बिलों सहित तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां।	कोई नींव नहीं डाली गई है बल्कि टावर सुदृढीकरण कार्य पावरग्रिड की अनुमोदित ड्राइंग और विनिर्देश के अनुसार निष्पादित किया गया।
7	यह कि उप्रोक्त कार्य करने में आपके विभाग द्वारा किस किस प्रकार का खर्चा किस किस कार्य में किया गया। तमाम खर्चे की बिलों सहित सत्यापित कापियां।	टावर सुदृढीकरण कार्य पावरग्रिड की अनुमोदित ड्राइंग और विनिर्देश के अनुसार निष्पादित किया गया।
8	यह कि प्रार्थी के खेत में दोबारा फौंडेशन किया गया था वो जमीन से कितनी ऊंचाई, लम्बाई तथा चौडाई तक बनाये गये थे। तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां।	टावर सुदृढीकरण कार्य पावरग्रिड की अनुमोदित ड्राइंग और विनिर्देश के अनुसार निष्पादित किया गया।
9	यह कि उप्रोक्त कार्य करने के बाद प्रार्थी के खेत में कितने वर्ग फुट जमीन में खेती नहीं हो सकती है और कितने जमीन में ट्रेक्टर बिजाई ना होने के कारण खाली रहती है । तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।	भारतीय तार अधिनियम 1885 (Indian Telegraph Act, 1885 एवं भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 (Indian Electricity Act) के प्रावधानो के अनुसार।
10	यह कि प्रार्थी के खेत में बने टावर के दोनों तरफ कितनी मीटर की लम्बाई तक कोई भी कुंआ, मकान, पेड तथा अन्य निर्माण नही कर सकता। उस आदेश की सत्यापित कापी।	टावर के दोनों तरफ भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार ROW Clearance 64 Meter है यानि लाइन कॉरिडोर के 64 मीटर के एरिया में कोई कुआ, मकान आदि का निर्माण नही कर सकते है संदर्भ हेतु कापी सलग्न है।
11	यह कि प्रार्थी के खेत में जो टावर नंबर 2.0 बनाया गया है वह कितने वर्षों तक उसके खेत में बना रहेगा। तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।	भारतीय तार अधिनियम 1885 (Indian Telegraph Act, 1885 एवं भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 (Indian Electricity Act) के प्रावधानो के अनुसार।
12	यह कि प्रार्थी के खेत में जो टावर नम्बर 2.0 बनाया गया है उस पर आपके विभाग द्वारा कितने समय बाद रुटीन में क्या काम किये जाते है और अब तक इस टावर पर कितनी बार किस किस तरह का कार्य हो चुका है । तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।	पावरग्रिड टीएल मानदंडों के अनुसार।
13	यह कि प्रार्थी के खेत में जो टावर नम्बर 2.0 बनाया गया था वह कब बनाया गया था और उस	चाहे गये दस्तावेज मिल (traceable) नही रहे है।

...3

	समय उसके लिए प्रार्थी को कितना कितना मुआवजा कब कब दिया गया। मुआवजा फार्मों सहित तमाम जानकारियों की सत्यापित कापियां।	
14	यह कि आपके विभाग द्वारा प्रार्थी के खेत मे जो बनाया गया टावर नंबर 2.0 के बाबत प्रार्थी के अतिरिक्त किस किस वयक्ति को कितना कितना मुआवजा किस किस बाबत दिया गया था। उस सभी व्यक्तियों के मुआवजा फार्मो सहित तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां।	किसी अन्य व्यक्ति एवं किसान से सम्बंधित जानकारी उनकी निजी जानकारी है इसलिए आर. टी. अधिनियम के नियम 8(1) (j) एवं (g) के तहत छूट प्राप्ति के दायरे में है।
15	यह कि भिवानी से मोगा 765 के. वी. पारेषण लाईन जो कि प्रार्थी के खेवट नम्बर 309 किला नंबर 83/24/2 में बिजली की लाईन बिछाई गई थी उसकी बाबत प्रार्थी को कितना मुआवजा दिया गया था और वह लाईन कब बिछाई गई थी। मुआवजा फार्म सहित तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां ।	चाहे गये दस्तावेज मिल (Traceable) नही रहे है।
16	यह कि प्रार्थी के खेत में जो भिवानी से मोगा 765 के. वी. पारेषण लाईन बिछाई गई थी उस लाईन में बने खम्बों की मियाद कितने सालो की है तथा मियाद समाप्त होने के बाद क्या उसी स्थान पर दोबारा लाईन के लिए खम्बे लाये जाएंगे। तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां ।	भारतीय तार अधिनियम 1885 (Indian Telegraph Act, 1885 एवं भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 (Indian Electricity Act) के प्रावधानो के अनुसार।
17	यह कि प्रार्थी के खेत में जो भिवानी से मोगा 765 के. वी. ट्रांशमिशन लाईन बिछाई गई थी उस लाईन के दोनों तरफ कितनी मीटर की लम्बाई तक कोई भी कुंआ, मकान, पेड तथा अन्य निर्माण नहीं कर सकता । उस आदेश की सत्यापित कापी।	टावर के दोनों तरफ भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार ROW Clearance 64 Meter है यानि लाइन कॉरिडोर के 64 मीटर के एरिया में कोई कुआ, मकान आदि का निर्माण नही कर सकते है संदर्भ हेतु कापी सलग्न है।
18	यह कि प्रार्थी के खेत खेवट नंबर 309 किला न्बर 83/24/2 व 88/5 वाका मौजा ढाणा नरसान में भिवानी से मोगा 765 के वी ट्रांशमिशन लाईन बिछाई गई थी व 88/5 में भिवानी से मेरठ टावर नंबर 2.0 बनाया गया था । उनगें प्रार्थी को क्या फसल य पेडों के नुकसान के साथ जमीन का कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया गया था क्योंकि आपके विभाग द्वारा किये गये दोनों कार्यों में प्रार्थी की डेढ् एकड जमीन समाप्त हो गई । आदेश की सत्यापित कापी तथा तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।	केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अनुसार इस टावर से सम्बंधित सभी मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है और कुछ भी लम्बित नहीं है।

...4

19	यह कि टावर नंबर 2.0 के खेत की मिट्टी जरुरत होने पर क्या प्रार्थी उठवा सकता है। यदि उठवा सकता है तो कितनी फुट तक उठवा सकता है। इस कार्य के लिहे प्रार्थी को किस विभाग या अधिकारी से इजाजत लेनी होगी । तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।	टावर के दोनों तरफ भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार ROW Clearance 64 Meter है यानि लाइन कॉरिडोर के 64 मीटर के एरिया में मिट्टी नही काटी एवं उठवाई जा सकती है।
20	यह कि प्रार्थी के खेत खेवट नंबर 309 किला नंबर 83/24/2 व 88/5 वाका मौजा ढाणा नरसान में भिवानी से मोगा 765 के. वी. ट्रांशमिशन लाईन बिछाई गई थी व 88/5 में भिवानी से मेरठ टावर नंबर 2.0 बनाया गया था उनेमें प्रार्थी भविष्य अपनी रिहायश के लिए मकान कुंआ आदि बना सकता है या नहीं। यदि बना सकता है तो किस अधिकारी या विभाग से इजाजत लेनी होगी । तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।	टावर के दोनों तरफ भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार ROW Clearance 64 Meter है यानि लाइन कॉरिडोर के 64 मीटर के एरिया में कोई भी कार्य नहीं कर सकते।
21	यह कि आपके विभाग द्वारा प्रार्थी के खेत में दोबारा जो टावर नंबर 2.0 का फाउंडेशन बनाया गया था उसकी खुदाई के बाद खेत उबड खाबड हुआ और उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई थी जिसके कारण खेत को समतल करवाने व उसमें प्रार्थी ने हजारों रुपयों के खाद व अन्य उर्वरक डाले गए थे । इस हुए नुकसान को भुगतान प्रार्थी को क्यों नहीं दिया गया। कारण सहित पूरा विवरण ही सत्यापित कापी।	इस तरह की कोई भी जानकारी कार्यालय के पास उप्लब्ध नहीं है।
22	यह कि प्रार्थी के खेत में टावर नंबर 2.0 लगाने से तथा दोबारा फाउंडेशन बना कर लगभग आधा एकड जमीन को कंक्रिट आदि डाल कर पक्का दिया गया था जिसमे कारण प्रार्थी की जमीन को स्थाई रुप से बर्बाद कर दिया। उस जमीन के नुकसान का मुआवजा आपके विभाग द्वारा क्यों नहीं दिया गया। कारण सहित तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।	इस तरह की कोई भी जानकारी कार्यालय के पास उप्लब्ध नहीं है।
23	यह कि प्रार्थी के खेत से दो लाईन व टावर उसके किला नंबर 83/24/2 व 88/5 में बनाया गया है उस बिजली के 765 के. वी. के रडियेशन से हर साल दोनों फसलों की उपजाऊ शक्ति पर असर पडता है और इससे दूसरे खेतों की अपेक्षा कम फसल होती है । प्रार्थी को हो रही नुकसान व बिजली की हाई टैंशन लाईन के नीचे काम करने से आने वाले करंट लगने पर उसके नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होती है। तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।	पावरग्रिड जो भी लाईन बनाता है वह भारतीय तार अधिनियम 1885 (Indian Telegraph Act, 1885 एवं भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 (Indian Electricity Act) के प्रावधानो के अनुसार बनाता है।

...5

24	यह कि आपके विभाग द्वारा गांव निमडीवाली तथा आस पास के गावों के खेतों में लगने वाले टावरों के लिए प्रति टावर 5.50 लाख रुपये देने का कमिशनर भिवानी द्वारा आदेश दिया गया था उस आदेश की सत्यापित कापी।	इस तरह की कोई भी जानकारी कार्यालय के पास उप्लब्ध नहीं है।
25	यह कि आपके विभाग द्वारा प्रार्थी के खेत में दोबारा टावर नंबर 2-0 भिवानी से मेरठ लाईन बनाया गया था, उसकी खुदाई के बाद खेत जो कि उबड-खाबड हो गया था और उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई थी प्रार्थी द्वारा खेत को समतल करवाने तथा खाद व अन्य उर्वरक डाले गये थे जिसमें प्रार्थी का बहुत नुकसान हुआ था । आपके विभाग द्वारा तमाम प्रकार का मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था वो अभी तक क्यों नही दिया । सपस्टीकरण की सत्यापित कापी।	इस तरह की कोई भी जानकारी कार्यालय के पास उप्लब्ध नहीं है।
26	यह कि आपके विभाग द्वारा प्रार्थी के खेत में दोबारा टावर नंबर 2-0 भिवानी से मेरठ लाईन के लिए टावर को दोबारा फाऊंडेशन बना कर लगभग एक एकड जमीन किला नंबर 88/5 वाका मौजा ढाणा नरसान में जमीन को कंक्रीट, सिमेंट और सरिया डाल कर पक्का किया गया था जिसके कारण प्रार्थी की जमीन स्थाई रुप से बर्बाद करके उसका लाखों रुपयों का नुकसान हुआ था । उस जमीन की उपजाऊ शक्ति भी साई रुप से समाप्त हो गई है। उस जमीन के नुकसार का मुआवजा आपके विभाग द्वारा क्यों नही दिया गया । स्पस्टीकरण की सत्यापित कापी।	इस तरह की कोई भी जानकारी कार्यालय के पास उप्लब्ध नहीं है।
27	यह कि प्रार्थी के खेत में किला न. 83/24/2 में भिवानी से मोगा बिजली लाईन का टावर बनाया गया था उस 765 के. वी. रडिएशन से प्रार्थी के खेत में दूसरे खेतों की अपेक्षा कम पैदावार होती है। फसल के समय जो बिजली लाईन के नीचे कृषि का काम करने वाले व्यक्ति को करंट लगता है तो उसके नुकसान की भरपाई आपके विभाग द्वारा क्यों नहीं की गई। स्पष्टीकरण की सत्यापित कापी।	इस तरह की कोई भी जानकारी कार्यालय के पास उप्लब्ध नहीं है।
28	यह कि आपके विभाग द्वारा भिवानी से मेरठ बिजली लाईन के लिए टावर बनाए गये थी उन टावरों में घटिया सामग्री लगाने के कारण दोबारा बनाया गया था। जिससे प्रार्थी के खेत में टावर नंबर 2.0 का दोबारा फाउंडेशन बनाया गया	जैसा कि उप्रोक्त में बताया गया है टावर का सुदृढीकरण कार्य पावरग्रिड की अनुमोदित ड्राइंग और विनिर्देश के अनुसार निष्पादित किया गया।

...6

	था। इस मामले में आपके विभाग के किन किन अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच हुई थी और उस जांच में कौन-कौन अधिकारी – कर्मचारी दोषी पाए गये थी तथा उनके खिलाफ आपेक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही अमल में लाई गई थी। विजिलेंस जांच की पूरी जानकारी की सत्यापित कापी।	
29	यह कि भिवानी से मोगा 765 के. वी. बिजली लाईन जो प्रार्थी के खेत में किला नम्बर 83/24/2 के बीच से निकाली गई है तथा किला नम्बर 88/5 में भिवानी से मेरठ बिजली का टावर बनाया गया है। ये खेत पावर ग्रिड ढाणा नरसान के सामने गांव निमडीवाली से अजीत पुर गांव के मुख्य सडक मार्ग पर है जिसकी किमत पहले 50 लाख रुपये प्रति एकड थी जो इस काम के होने के बाद अब बिलकुल समाप्त हो गई है। प्रार्थी की जमीन की बाजार कीमत का मुआवजा अभी तक क्यों नहीं दिया गया। पूरी जानकारी के सत्यापित कापी।	पारेषण लाईन का निर्माण भारत सरकार या विदयुत मंत्रालय मे निर्देशानुसार किया जाता है जो कि राष्ट्र हित में होता है . क्षतिपुर्ती की एवज में मुआवजा दिया जाता है या सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशो के अनुसार किया जाता है। आपको यह जानकारी देना चाहते है कि इस टावर से सम्बंधित सभी मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है और कुछ भी एवं किसी भी किसान का मुआवजा लम्बित नही।

धन्यवाद |

भवदीय

[जी. पी. पयासी]
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न.0129-2666305

POINT. No 02

WER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprises)

पावरग्रिड POWERGRID

Northern Region - I, 765/400/220 KV S/S, VPO : Nimriwali, Distt. Bhiwani - 127311 (Haryana)

NOTICE UNDER THE ELECTRICITY ACT, 2003 READ WITH THE INDIAN TELEGRAPH ACT, 1885

Book No. : C 3 Notice No. : 37

Name of the Line/Section 765 KV S/C MEERUT – BHIWANI (2/0) Date : 31/10/2020

To,

Name AJIT SINGH Father's/Husband's Name AKHE RAM

Village NIMRIWALI PO NIMRIWALI Block/Tehsil BHIWANI

Dist. BHIWANI Pin Mobile No. 9813831675

In accordance to section-164 of The Electricity Act, 2003, Ministry of Power, Govt. of India has conferred the powers of Telegraphy Authority under Part-III of The Indian Telegraph Act, 1885 to Power Grid Corporation of India Ltd. (POWERGRID) vide Notification No. S.O. 1463 (E) published in the Extraordinary Official Gazette of India on 24.12.2003. In exercise of such powers, notice is hereby given that the above mentioned line shall pass through your property/properties as detailed below White all possible care will be taken to minimize the damage to standing crop and trees in the Right of Way (RoW), certain minimum unavoidable damages/felling of trees in RoW may take place during construction of said line. All crop damages/tree felling shall be compensated as per the assessment of Revenue authority or any other competent authority as may be declared or decided by State Government/District administration.

Property Details :

Name of the Beneficiary (Owner/Tenant/Sharecropper) : AJIT SINGH

Father's/Husband's Name : AKHERAM

Survey Plot Khasra No. : 11//4

Name of the Village/ Mandal/Tehsil/Circle : NEEMRIWALI

Name of the District : BHIWANI

Aadhaar No. of Beneficiary : 348841195649

Crop Details :

SL. No.	Location/ Section	Name of the Crop	Affected Crop Area (sq./m.)*	Activity / Work Done	Remarks
1	2/0	COTTON TOMATO	50X50 = 2500 m 42X04 = 168 m	FOUNDATION STRENGTHENING WORK	COMPENSATION AGAINST CROP DAMAGE

Tree Details :

SL. No.	Location/ Section	Name of the Tree Species	Approx. Age (Yr.)	Girth (1 m above ground level)	Height (in Meter)	Nos.*	Activity Fdn./Erec./ Strg./Other	Remarks
1.								
2.								
3.								
4.								

*In case more trees, Table with such details may be annexed

Acknowledgement

Signature with Name Owner/Beneficiary/Representatives

(Signature of Issuing Official) Name/Seal

For Power Grid Corporation of India Ltd.

(Countersigned by Executive) Name/Seal

Verified By : Concerned Revenue Official

*Based on preliminary assessment. However, compensation shall be paid as per actual crop damaged/no. of tree falled.

Book No. : 03 Notice No. : 37

This is to certify that the damaged crops / felled trees as per enclosed list have been handed over by POWERGRID to you/your authorized representative

Signature with Name Owner/Beneficiary/Representatives

(Signature of Issuing Official) Name/Seal

For Power Grid Corporation of India Ltd.

(Countersigned by Executive) Name/Seal

BINDING SPACE

BINDING SPACE

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

Abstract Bill for Crop Compensation

पावरग्रिड

Name of the work: **O&M works of transmission lines under TLM Bhiwani**

Bill No & Date. N1BI/Crop/O&M/58 dt. 24.11.2020

Sl. No.	Name & Father's / Husband's Name	Tower No./Span	Activity	Name of Crop	Area of Crop damaged in sq.m.	Area of Crop damaged in hec.	Yield/Ha in Qntl.	Total Yield in Qntl.	Rate per Qntl.	Amount	Village	Account No	IFSC Code
7	Ajit Singh S/o Akhe Ram	2	Tower Foundation Stren. work	Cotton	2500	0.250	13.41	3.35	5600	18774	Nimariwali	0053001700008291	PUNB0005300
				Tomato	168	0.017	550.00	9.24	3350	30954			
Total Amount										64865			

(Rupees Sixty four thousand eight hundred sixty five only)

Point No-04

Abhay Kumar maurya 24/11/2020

Name: Abhay Kumar maurya
Emp. No. 11871
Desgn. Jr. Engineer

Name: SK Tyagi
Emp. No. 10809
Desgn. Manager

24/11/2020

एस.के.त्यागी/S.K. TYAGI
प्रबंधक/MANAGER
पावरग्रिड /POWER GRID
भिवानी/BHIWANI

308134/2019/OFFICE OF BIHARI LAL

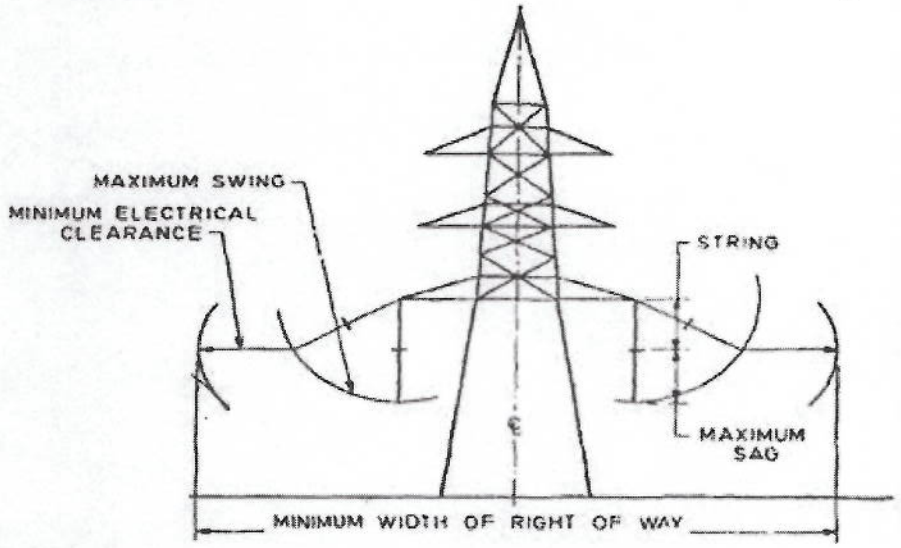

4.3 As per current practice, the width of RoW / corridor requirement for the transmission lines of different voltage levels are as follows.

Table -1

Voltage Level	Corridor Requirement (m)
66kV AC	18
110kV AC	22
132kV AC	27
220kV/230 kV AC	35
400kV AC Single Circuit (Horizontal configuration)	52
400kV AC Double Circuit / 400kV S/C (Vertical / delta configuration)	46
765kV AC Single Circuit (Horizontal configuration)	85
765kV AC Single Circuit (Delta / Vertical configuration)	64
765kV AC Double Circuit	67
1200kV AC	89
+/- 500kV HVDC	52
+/- 800kV HVDC	69

The current practice in India for RoW width / corridor requirement of transmission lines for various voltage level is more or less similar to worldwide practice.